तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व[illegible] अहलकार[illegible] हुक्म की[illegible] में जा[illegible]
17/01/25 भंवरलाल	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। अप्र.सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गयी। अनुपस्थित रहे। अतः अप्र.सं. 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र O9 R9 एवं धारा 5 हेतु दि. 25/02/25 को पेश हो। [signature] 17/1/25	
25/02/25 भंवरलाल	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र O9 R7 CPC धारा 5 में बहस अप्रपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र O9 R7 CPC दि. 11/03/25 को पेश हो। [signature] 25/2/25	
11/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रा. प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक [illegible] 15/2023 उनवान सीतादेई [illegible] न्यायालय में लंबित [illegible] रायपुर में [illegible] " प्रकरण में [illegible] वादीगण द्वारा आपसी राजीनामा होने से not-press किया गया" — खारिज खारिज कर दिया गया। चूंकि प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा ना तो not-press किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय सब इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया और था की जानकारी थी। उक्त आदेश दिनांक 11/1/2015 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा एक पुनर्विलोकन/पुनर्विलोकन प्रा० पत्र u/s 114, 47 R व 151 cpc पेश किया गया जिसे दिनांक 16/11/2015 को प्रकरण नं० 910/2015 के दर्ज में दर्ज किया जाकर सुनवाई के लिए चला रहा। प्रकरण (पुनर्विलोकन) अभाव में निरस्त किया था लेकिन राजस्व लोक अदालत कैम्प स्थान [illegible] के दिनांक 31/5/2017 को वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों की अनुपस्थिति में प्रकरण हाईकोर्ट, अदम पैरवी के खारिज कर दिया गया। प्रार्थी० प्रार्थीगण द्वारा मांग गई कि कि राजस्व लोक अदालत (शिविर) में केवल राजीनामे या आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों को decide किया जा सकता है, ना कि अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है। जैसे प्रार्थीगण को उक्त व्यवस्था व विधिक आदेश की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21/12/2017 को यह प्रा० पत्र 09 R9 CPC with sec. 5 of limitation act पेश किया गया था। अतः प्रार्थीगण के प्रा० पत्र 09 R9 CPC r.w.s. 5 limitation act को स्वीकार कर वादीगण/प्रार्थीगण के वाद सं० 75/2013 को पुनः नम्बर पर लिया जावे। 2. अप्रार्थी० अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन का पुरजोर विरोध करते हुए कथन कि मुकदमा सं० 75/2013 राजस्व लोक अदालत [illegible] अदालत शिविर में [illegible] जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] हुए थे। दिनांक 11/1/2015 को [illegible] पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर (thumb impression) हैं। दोनों ही उक्त पक्ष द्वारा आपसी सहमति व राजीनामे से प्रकरण को not-press किया गया था जिसे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म को में जा

कोई विधिक गलती नहीं है। स्वयं प्रार्थिया ने अपने पुनर्अवलोकन प्रा०पत्र में इसका उल्लेख किया जाता है। अतः प्रार्थिया का प्रा०पत्र 07 R9 r.w.s. 151 cpc खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा पेश मुकदमा इ० 75/2013 सीताबाई बनाम कौशल्याबाई की आदेशिका दिनांक 11/07/2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण को उभयपक्ष द्वारा राजीनामे के आधार पर Not-press किया जाना अंकित है, आदेशिका पर वादी- सीताबाई, मांगीलाल, करण के साथ एक अन्य का अगूंठा दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण में से कौशल्याबाई का अगूठा व एक अन्य के sign दर्ज है। पूर्ववर्ती आदेशिका दिनांक 26/3/2015 प्रति 1,3,4,5,7,9 व 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी जबकि प्रति क्रम 2,6,8,10 की तामील होना शेष था अतः स्पष्ट है कि दिनांक 11/7/2015 को सभी 05 वादीगण में से केवल 04 ही present थे, वादी क्रम 4 व 5 में से कौन absent था व कौन absent था - यह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार प्रति 2,6,8,10 की तामील ही नहीं हुई थी और प्रति 4 को उपस्थिति के विरुद्ध already एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी। [illegible] में से उपस्थित एक अन्य [illegible] प्रति 11 हो सकता है जिसके [illegible] ex-parte order हो गया [illegible] अतः स्पष्ट है कि वादी क्रम 4 [illegible] 5 में से किसी एक के द्वारा मुकदमा इ० 75/2013 NOT-press नहीं किया गया था लेकिन फिर भी राजीनामे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	के हद तक Not-press मान कर वाद खारिज कर दिया गया था। प्रार्थीगण की review Application सं० 310/2015 की समय सीमा में दायर की थी जिसे कुताबिक आदेशिका दिनांक 31/5/2017 से सामान्य लोक अदालत स्थल रामपुर में आयम हाजरी प्रथम पेशी में खारिज किया गया था जबकि सामान्य लोक अदालत / शिविर में केवल राजीनामे या आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जा सकते हैं। अतः आदेश दिनांक 31/5/17 विधिवत् नहीं था बल्कि लोक अदालत की मूल भावना के विरूद्ध था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रकरण यथासंभव गुणावगुण के आधार पर ही adjudicate करना चाहिये, ना कि technical grounds पर खारिज की जावे क्योंकि Law के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन नहीं हो।	
	4. उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का प्रा० पत्र 05 R9 CPC r.w.s. 151 CPC केवल वादी / प्रार्थी क्रम के हद तक ही स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी / वादी क्रम 1,2,3, के हद तक खारिज किया जाता है। केवल प्रार्थी / वादी क्रम के हद तक मूलवाद सं० 75/2013 को पुनः नम्बर (re-store) लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह प्रा० पत्र फैसलमुताबिक होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न होकर दिनांक 16/04/… को पेश …	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.03.24 11:30:27 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	

Scanned with OKEN Scanner